फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मोहनलाल बनाम अमृत वगैरह

किस्म मुकदमा ....225...आर.टी.एक्ट............................ मुकदमा नंबर...29............................सन..........2023...............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.04.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप पत्रावली आज दिनांक को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 बउनवान मोहनलाल बनाम अमृत वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20.04.2023 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हो। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निशेधाज्ञा प्रदान करान का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश न पारित कर केवल मात्र प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया जाने के कारण रेस्पोडेन्टगण अपीलांट की कब्जे काश्त की आराजी पर दखलदांजी करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया है। उक्त आदेश पूर्ण आदेश की परिभाषा मे नहीं आता है। अत उक्त अपील हाजा न्यायालय मे चलने योग्य नहीं है।

किन्तु वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी। अत प्रकरण मे न्यायहित मे आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। सहायक कलक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 25/2023 बउनवान मोहनलाल बनाम अमृत वगैरा मे उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर 6 माह मे विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली